CNR NO. UPDE 0100 3319 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–-UP2016

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1360/2026

1. रामाज्ञा प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति
2. रामप्रभु प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति
3. अनूप प्रजापति पुत्र रामप्रभु प्रजापति
4. अमित प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति
निवासीगण परसिया भण्डारी, थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–362/2026
धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 117(2) भा0 न्या0 सं0
थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रामाज्ञा प्रजापति**, **रामप्रभु प्रजापति**, **अनूप प्रजापति एवं अमित प्रजापति,** जो अपराध संख्या–362/2026, धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 117(2) भा0न्या0सं0, थाना–कोतवाली, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता जितेन्द्र प्रजापति द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ती मीना देवी द्वारा थाना कोतवाली, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि उसकी जमीन ग्राम परसिया भण्डारी में स्थित है जिस पर लेखपाल द्वारा नापी कर दी गई है। दिनांक 03.06.2026 को सुबह करीब 08:30 बजे वह व उसके परिजन दीवाल चलाने का कार्य शुरू कर रहे थे तो मोहन प्रजापति, रामप्रवेश पुत्र मोहन प्रजापति, रामप्रभु प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति, रामाज्ञा प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति, अंकित प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति, अमित प्रजापति पुत्र रामप्रवेश प्रजापति, अनुप प्रजापति पुत्र रामप्रभु प्रजापति एवं चम्पा देवी, सलेहरा, कुशमावती निवासीगण परसिया भण्डारी व सोनू पुत्र रामविलास निवासी चकसराय बदलदास (बदली) सभी लोग एक राय होकर गोल बनाकर लाठी–डण्डा से उसके पति शम्भू प्रजापति पुत्र कन्हेलाल प्रजापति व ससुर कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र बुद्धू प्रजापति व सास रामसखी देवी पत्नी कन्हैयालाल एवं मनीषा पुत्री शम्भू प्रजापति को जान से मारने की धमकी की

नियत से मारने–पीटने लगे जिससे उनको जानलेवा चोटें आयी हैं। उन लोगों के मारने–पीटने से उसे व उसके लड़के दीपक को भी काफी चोटें आयी हैं। उपरोक्त मुल्जिमान भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिये है। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 03.06.2026 को अभियुक्तगण मोहन, रामप्रवेश प्रजापति, रामप्रभु प्रजापति, रामाज्ञा प्रजापति, अंकित प्रजापति, अमित प्रजापति, अनुप प्रजापति, चम्पा देवी, सलेहरा, कुसुमावती एवं सोनू के विरूद्ध थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–362/2026, अंतर्गत धारा–191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2) भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा ध ाारा–117(2) भा0 न्या0 सं0 की बढ़ोत्तरी की गई है।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वे निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने न तो मुकदमा वादिनी व अन्य को मारा–पीटा है, न जान से मारने की धमकी दी है, न ही गाली–गुप्ता दी है और न ही जानलेवा चोट पहुंचाया है, इसके विपरीत सारे कथन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, बिल्कुल झूठे व गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी घातक अथवा धारदार हथियार से चोट कारित करने का अभिकथन नहीं है। उक्त घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है, जबकि आस–पास काफी मकान है। वादिनी ने पट्टीदारी व जमीनी रंजिश व जमीनी मुकदमें के कारण प्रार्थीगण को उपरोक्त अभियोग में मिथ्या रूप से आलिप्त किया है। वादिनी ने प्रथम सूचना में लेखपाल द्वारा जमीन को नापी करना अभिकथित किया है, लेकिन नापी का कोई दिनांक नहीं बताया गया है। वास्तविकता यह है कि सह अभियुक्त मोहन द्वारा दिनांक 18.11.2025 को एक प्रार्थना–पत्र जिलाधिकारी को इस आशय का दिया गया कि उभय पक्ष के जमीनी विवाद में पैमाईश कराकर निस्तारित करा दे जिस पर लेखपाल द्वारा जमीनी विवाद के संदर्भ में यह रिपोर्ट प्रेषित किया गया कि उभय पक्ष समक्ष न्यायालय वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रार्थी/अभियुक्त मोहन की तरफ से न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या–10, देवरिया के न्यायालय में वाद संख्या–983/2026, मोहन बनाम कन्हैया आदि दाखिल है, जो विचाराधीन है। वादी पक्ष के लोग अपने गोल के लोगों को इकट्ठा करके सह अभियुक्त मोहन की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, विरोध करने पर वादी पक्ष के लोग आक्रामक होकर सह अभियुक्तगण रामप्रवेश, रामाज्ञा, रामप्रभु व नाती अंकित व अमित को मारकर घायल कर दिये तथा सह अभियुक्त रामप्रवेश का बांह तोड़ दिये। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई सम्यक व समीचीन साक्ष्य नहीं है। सह अभियुक्तगण मोहन प्रजापति, सोनू रंगवा, चम्पा देवी, सलेहरा देवी व रामप्रवेश की जमानत प्रस्तुत न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामाज्ञा प्रजापति व अनूप प्रजापति दिनांक 19.06.

2026 एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामप्रभु प्रजापति व अमित प्रजापति दिनांक 05.07.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, गाली–गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए, प्रथम सूचनाकर्ती एवं उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डे से मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, गाली–गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए, प्रथम सूचनाकर्ती एवं उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की नीयत से लाठी–डण्डे से मारपीट कर गंभीर चोटें कारित किये जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। चोटिला मनीषा के इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 06 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या–01, 03, 04, 05, 06 के बावत एक्स–रे की सलाह दी गई है। चोटिला मनीषा की एक्स–रे रिपोर्ट में एन.ए.डी. आना अंकित है। चोटिल दीपक प्रजापति की इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 04 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या–01 के बावत एक्स–रे की सलाह की गई। चोटिल दीपक प्रजापति की एक्स–रे रिपोर्ट में एन.ए.डी. आना अंकित है। चोटिला रामसखी देवी की इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 05 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या–02, 03, 05 के बावत एक्स–रे की सलाह दी गई है। चोटिला रामसखी की एक्स–रे रिपोर्ट में चोट संख्या–02 व 05 के बावत एन.ए.डी. एवं चोट संख्या–03 के बावत हाथ की छोटी अंगुली में फ्रैक्चर अंकित है। चोटिल शम्भू प्रजापति की इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 04 चोटें आना अंकित है, जिसमें चोट संख्या–01, 02, 03 के बाबत एक्स–रे की सलाह दी गई एवं एक्स–रे रिपोर्ट में एन.ए.डी. आना अंकित है। चोटिल कन्हैया लाल प्रजापति की इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 05 चोटें आना अंकित है, जिसमें सभी चोटों के बाबत एक्स–रे की सलाह एवं चोट संख्या–01 व 02 के बाबत सी.टी.स्कैन की सलाह दी गई है। चोटिल कन्हैयालाल प्रजापति की एक्स–रे रिपोर्ट एवं सी.टी.स्कैन रिपोर्ट में कोई अनियमितता दर्शित नहीं है। चोटिला मीना प्रजापति की इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल 01 चोट आना अंकित है,

जिसके बाबत एक्स–रे की सलाह दी गई है एवं एक्स–रे रिपोर्ट में अल्ना के मध्य भाग में फ्रैक्चर आना अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पक्ष की ओर चोटें आने का कथन है। कौन–सा पक्ष अग्रेसर है, यह साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य जमीनी रंजिश होने का कथन है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामाज्ञा प्रजापति व अनूप प्रजापति दिनांक 19.06.2026 से एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामप्रभु प्रजापति व अमित प्रजापति दिनांक 05.07.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

9. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रामाज्ञा प्रजापति**, **रामप्रभु प्रजापति**, **अनूप प्रजापति एवं अमित प्रजापति** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा **मु0–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो–दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गवाहान को डरायेंगे, धमकायेंगे नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं के निवास स्थान एवं उनके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। यदि वे अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़े जाये तो वह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

दिनांक–22.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।